रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238126 CG-DL-E-17082022-238126

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] No. 558] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 632(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) और धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर नियम (पच्चीसवां संशोधन), 2022 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में, नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

5531 GI/2022 (1)

"17. धारा 10 या 11 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के अधीन विकल्प का प्रयोग आदि.—(1) प्ररूप सं. 9क में 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष सुसंगत अन्य गत वर्ष से आय से संबंधित विकल्प का प्रयोग अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

- (2) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी या विहित प्राधिकारी को उक्त उपबंध के अधीन प्ररूप सं. 10 में अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) के अधीन प्रयोज्यता अनुसार हो और अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा समाप्त होने से पूर्व आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विवरण प्रतुत करना होगा।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 9क में विकल्प और उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 10 में विवरण इलैक्ट्रानिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड से प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) करेंगे-
 - (i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूप भरने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेंगे;
 - (ii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड बनाने की रीति, उक्त प्ररूप प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति का सत्यापन; और
 - (iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररुप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।"।
- 3. मूल नियमों में, परिशिष्ट में, प्ररूप 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातु:

"प्ररूप सं. 10

[नियम 17(2) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी के सम्मुख विवरण की प्रस्तुति

सेवा में	
निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधि	कारी
मैं,	की ओर से[निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/
अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय	संस्थान/संगम] जिसका स्थायी खाता संख्याहै, यह आपके संज्ञान में
लाता हूं कि न्यासियों/शासी निव	काय/ प्रबंधन चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह निर्णय
लिया गया कि	(ता.मा.व) निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य
अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस	ऱ्थान/संगम की गत वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष 20xx202xxxx, की आय
राशि जो कि	निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य

अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम का प्रतिशत है, उसे संचित अथवा पृथक करके निधि /संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम के प्रयोजनार्थ किया जाएगा प्रस्तावित संचयन या पृथकन की अवधि और प्रयोजन राशि का विवरण इस प्रकार है:—

क्रम सं.	धारा जिसके अधीन विवरण प्रस्तुत किया जाना है	वह प्रयोजन जिसके लिए राशि का संचयन या पृथकन किया जाना है	संचयन की राशि (रु. में)	संचयः	न/पृथकन की अ	विधि
	टिप्पण निर्दिष्ट करें@			गत वर्ष का आरंभ	गत वर्ष की समाप्ति	अवधि वर्षों में
1						
2						
3						

2.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा	11 की	उपधारा(5)	में विर्नि	देष्ट किसी	1 या	` अधिक	प्ररूप	या मोड	में	विनिवेशित
या	जमा राशि का संचयन/पृथकन।										

3. इसके अतिरिक्त यह भी आपके संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त	[निधि/संस्थान/न्यास/अन्य
विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम] निर्धा	रिण वर्ष के संबंध में सुसंगत
पिछले निर्धारण वर्ष आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक	के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क)
धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खाते की आवश्यकता अनुसार (संचयन या प	गृथकन के संबंध में दिया गया
विवरण [जो लागू नहीं हो उसे काट दें] इस प्रकार है :-	

संचयन	प्ररूप 10	संचित	अवधि जिसके लि	ाए गत वर्ष के	आवेदन के	धारा 11 की उपधारा (3) और
वर्ष	भरने की	राशि	संचयन/पृथकन कि	या अंत तक	लिए शेष	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे
	तारीख		गया है	प्रयोज्य	राशि	परंतुक के स्पष्टीकरण 4 के अर्थ में
				राशि		निहित राशि जिसे आय माना गया
						है

4. यह भी आपके संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त 3 में दर्शाई गई आय में से न्यायालय के आदेश/निषेधाज्ञा के कारण नीचे दर्शाई गई आय प्रयोज्य नहीं होगी उस प्रयोजनार्थ जिसके लिए ये संचित या पृथक की गई है।

क्रम सं.	आय राशि	गत वर्ष जिसमें संचित	अवधि जिसके दौरान	न्यायालय के आदेश		
		या पृथक की गई	न्यायालय के आदेश के	का विवरण		
			कारण प्रयोज्य नहीं हो			
			सकी।			
तारीख#हस्ताक्षर						

 <i>"\Q\\"\\\"\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
पदनाम
पता
////

टिप्पण:-

1. #यह विवरण न्यासी/मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2. @धारा कोड के लिए कृपया निम्नलिखित कोड भरें:-

धारा	कोड
धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 का खंड (क)	1
धारा 11 की उपधारा का खंड (क)	2
धारा 11 की उपधारा (2) का खंड (क) धारा 10 के खंड(21) से साथ पठित	31"1

[अधिसूचना सं. 96/2022/फा. सं. 370142/34/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा-3, उप-धारा (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622 (अ) तारीख 10 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, 17th August, 2022

INCOME-TAX

- **G.S.R. 632(E).**—In exercise of the powers conferred under clause (a) of *Explanation* 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 and clause (a) of sub-section (2) of section 11 read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Incometax Rules, 1962, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (25th Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force from 1st day of April, 2023.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as principal rules), for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-
- "17. Exercise of option etc. under *Explanation* 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 or section 11.—(1) The option to be exercised in accordance with the provisions of the *Explanation* to sub-section (1) of section 11 of the Act in respect of income of any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2016 shall be in Form No. 9A and shall be furnished before the expiry of the time allowed under sub-section (1) of section 139 of the Act for furnishing the return of income of the relevant assessment year.
 - (2) The statement to be furnished to the Assessing Officer or the prescribed authority under clause (a) of the *Explanation* 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 of the Act or under clause (a) of sub-section (2) of section 11 of the Act or under the said provision as applicable under clause (21) of section 10 of the Act shall be in Form No. 10 and shall be furnished before the expiry of the time allowed under sub-section (1) of section 139 of the Act, for furnishing the return of income.
 - (3) The option in Form No. 9A referred to in sub-rule (1) and the statement in Form No. 10 referred to in sub-rule (2) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

- (4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall—
 - (i) specify the procedure for filing of Forms referred to in sub-rule (3);
 - (ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule(3), for purpose of verification of the person furnishing the said Forms; and
 - (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to Forms so furnished.".
- 3. In the principle rules, in the APPENDIX, for Form No. 10, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORMNo.10

[See rule 17(2)]

Statement to be furnished to the Assessing Officer/Prescribed Authority under clause (a) of the *Explanation 3* to the third proviso to clause (23C) of section 10 or under clause (a) of sub-section (2) of section 11 of the Income-tax Act, 1961

10
The Assessing Officer/Prescribed Authority,
I,,
fund /institution / trust / any university / other educational institution /any hospital / other medical
institution/association having Permanent Account Number hereby bring to your notice that it has been
decided by a resolution passed by the trustees/governing body/management, by whatever name called
on(dd/mm/yyyy) that, out of the income of the fund /institution / trust / any university / other
educational institution /any hospital / other medical institution /association for the previous year, relevant to the
assessment year 20xx20xxx, an amount of Rs which is per cent of the income of the fund
institution / trust / any university / other educational institution /any hospital / other medical institution/association/
for the said previous year, shall be accumulated or set apart for carrying out the purposes of the fund /institution / trust
any university / other educational institution /any hospital / other medical institution/association.

The details of the amount, the purpose and period of the proposed accumulation or setting apart is as under:-

Sr.	Section under	Purpose for	Amount of accumulation	Period of	accumulation/s	etting apart
No.	which	which amount	(I D)			
	statement is	is being	(In Rs)			
	being	accumulated or				
	furnished	set apart				
	< Refer Note			Starting	Ending	Period in
	@>			previous	previous	years
				year	year	•
				,	уууу-ууууу	
				уууу-ууууу		
1						
2						
3						

- 2. The amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Income-tax Act, 1961.

an amount as required under clause (a) of the *Explanation* 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10/ clause (a) of sub-section (2) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 [strike off whichever is inapplicable] as detailed below:

Year of	Date of	Amount	Period for which	Amount applied	Amount	Amount deemed to be
accumulation	filing	accumulated	accumulated/set	upto the end of	remaining for	income within the
	Form 10		apart	the previous year	application	meaning of the
						Explanation 4 to the
						third proviso to clause
						(23C) of section 10/
						sub-section (3) of section
						11

4. It is also brought to your notice that, out of incomes detailed in 3 above, due to the order/injunction of the court the income as detailed below could not be applied for the purpose for which it was accumulated or set apart:-

S. No.	Amount of income	Previous year in which accumulated or set apart	Period during which it could not be applied due to court order	Details of court order

Date:	#Signature
	Designation
	Address

Notes:

- 1. #This statement should be signed by a trustee/principal officer.
- 2. @For section code please fill either of the following codes:

Section	Code
Clause (a) of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10	1
Clause (a) of sub-section (2) of section 11	2
Clause (a) of sub-section (2) of section 11 read with clause (21) of section 10	3.".

[Notification No. 96/2022/ F.No. 370142/34/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 622(E). dated 10th August, 2022